राजस्थान - सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक/प्रशि/जीएनएम/जी-88/011/ दिनांक

:: आ दे श ::

राज्य सरकार, चिकित्सा एवं स्वा (ग्रुप-3) विभाग की आई.डी. संख्या 08 दिनांक 13.1.11 के द्वारा इस निदेशालय की एकल पत्रावली पर अनुमोदनोपरान्त जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2010-11 में प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 25.01.2011 से बन्द की जाती है ।

इसी क्रम में सभी प्रधानाचार्य, निजी नर्सिंग स्कूल्स को निर्देशित किया जाता है कि दि. 25.1.011 के बाद इस निदेशालय या प्राइवेट फैडरेशन से प्रवेशित किसी भी अभ्यर्थी को जीएनएम प्रशिक्षण में प्रवेश नहीं देवें । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यदि किसी संस्थान में अनाधिकृत /अनियमित या दिनांक 25.1.11 के बाद प्रवेश दिये जाने का प्रकरण इस निदेशालय /राज्य सरकार के ध्यान में आने पर ऐसी संस्थान के खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में लायी जावेगी । जिसके लिये संस्थान स्वयं जिम्मेदार/उत्तरदायी होगी ।

(बी. के. दोसी)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0
जयपुर ।

क्रमांक/प्रशि/जीएनएम/जी-88/011/313 दिनांक 20-1-2011

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1- निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री/मा0 स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय राजसरकार ।
2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर ।
3- उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा (ग्रुप-3) विभाग, राज0 जयपुर को उक्त संदर्भित आई.डी. के संदर्भ में ।
4- रजिस्ट्रार, राज0 नर्सिंग कौंसिल, राज0 जयपुर ।
5- जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय को सादर प्रकाशनार्थ ।
6- प्रभारी, सर्वरकक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावें ।
7- अध्यक्ष/सचिव, राज0प्राइवेट निजी नर्सिंग स्कूल्स फैडरेशन राज0 जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करते हुये आप द्वारा आवंटित छात्रों की सूची संस्थावार दि. 25.1.011 को भिजवायी जाना सुनिश्चित करें। दि. 25.1.011 के बाद प्रवेशित छात्र मान्य नहीं होंगे ।
8- प्रधानाचार्य, समस्त निजी नर्सिंग स्कूल्स को पालनार्थ ।
9- आदेश/रक्षित पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0
जयपुर ।